



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102026-277426
CG-DL-E-26102026-277426

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5563]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 26, 2026/कार्तिक 4, 1948

No. 5563]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2026/KARTIKA 4, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 21 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5780(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 0 किमी से 8.156 किमी के NH-351 F, 8.156 किमी से 29.3 किमी के NH-351 F (अमरेली-लाठी-चावंड) तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-351 F (अमरेली-लाठी-चावंड) तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	प्रांत अधिकारी- अमरेली	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH351F के कि.मी 0 से कि.मी 8.156 तक	गुजरात	अमरेली	अमरेली	1 वरसडा 2 ईश्वरीया 3 गीरीया 4 केरिया नागस 5 अमरेली

2	प्रान्त अधिकारी-लाठी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH351F के कि.मी 8.156 से कि.मी 29.3 तक	गुजरात	अमरेली	बाबरा	1	गोलकोटडी
					लाठी	1	चावंड
						2	केरिया
						3	वीरपुर
						4	जरखीया
						5	टोडा
						6	केराला
						7	मालविया पिपरिया
						8	अलीउदेपुर
						9	लाठी

[फा. सं. D-1957]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st October, 2026

S.O. 5780(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to Km. 8.156 of the NH-351F, Km. 8.156 to Km. 29.3 of the NH-351F (Amreli-Lathi-Chavand) for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of GUJARAT

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-351 F (Amreli-Lathi-Chavand) in the State of GUJARAT.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/M andal 6	Name of the Village 7
1	Prant officer-Amreli	NH351F KM 0 TO KM 8.156	GUJARAT	AMRELI	Amreli	1 Varsada
						2 Ishwariya
						3 Gariya
						4 Keriya Nagas
						5 Amreli
2	Prant officer-Lathi	NH351F KM 8.156 TO KM 29.3	GUJARAT	AMRELI	Babra	1 Golkotdi
						1 Chavand
					Lathi	2 Keriya
						3 Virpur
						4 Jarakhiya
						5 Toda
						6 Kerala
						7 Malviya Pipariya
						8 Aliudepur
						9 Lathi

[F. No. D-1957]

SHAIKH AMINKHAN, Director